



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 भाद्र 1940 (श0)
(सं0 पटना 847) पटना, वृहस्पतिवार, 13 सितम्बर 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
13 सितम्बर 2018

एस० ओ० 238, दिनांक 13 सितम्बर 2018— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और बिहार गजट असाधारण अंक में संख्या 881, तारीख 21 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं. एस.ओ. 181, तारीख 21 सितंबर, 2017 को, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, बिहार राज्यपाल, 1 अक्तूबर, 2018 को उस तारीख के रूप से नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंध, उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में प्रवृत्त होंगे, यथा :-

(क) किसी कार्य को करने के लिए साम्या या नियंत्रण द्वारा इक्यावन प्रतिशत या अधिक की भागीदारी के साथ,--

(i) संसद या किसी राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा गठित ; या

(ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित,

कोई प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय ;

- (ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन स्थापित कोई सोसाइटी ;
- (ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-3)-2654)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव ।

13 सितम्बर 2018

एसओ 238 दिनांक 13 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-3)-2654)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 13th September 2018

S.O. 238, Dated 13th September 2018— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and in supersession of the Commercial Taxes Department Notification No. S.O- 181 dated 21st September, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 881, dated the 21st September, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor of Bihar, hereby appoints the 1st day of October, 2018, as the date on which the provisions of section 51 of the said Act shall come into force with respect to persons specified under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1) of section 51 of the said Act and the persons specified below under clause (d) of sub-section (1) of section 51 of the said Act, namely:-

(a) an authority or a board or any other body, -

- (i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or
- (ii) established by any Government,

with fifty-one percent or more participation by way of equity or control, to carry out any function;

- (b) Society established by the Central Government or the State Government or a Local Authority under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);
- (c) Public sector undertakings.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-3)-2654)]
By order of the Governor of Bihar,
DR. PRATIMA,
Commissioner State Tax-cum-Secretary,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 847-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>